

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT****NOTIFICATION****Port Blair, dated the 12th October, 2007**

No.221/2007/F.No. 5-1(276)/02-Dev-I.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is pleased to appoint the following Officers to be the Adjudicating Officer and Authorized Officer for the purposes of the said Regulation, namely:—

(1)	The Director of Fisheries, Andaman and Nicobar Islands	Adjudicating Officer for entire Andaman and Nicobar Islands.
(2)	An officer not below the rank of Assistant Director of Fisheries in the respective Zone of the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration	Authorised Officer for the respective zone.
(3)	An officer not below the rank of Deputy Commandant Coast Region, Andaman and Nicobar Islands	Authorised Officer for entire Andaman and Nicobar Islands.

Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(Ms. Salina)
Assistant Secretary (Fy.)



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 231, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2007

No. 231, Port Blair, Friday, October 12, 2007

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2007

सं. 222/2007/फा.सं. 5-1(276)/02-डेव-1.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मेरीन फिशिंग रेग्यूलेशन, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 2 और धारा 3 की उपधारा (ए) (ई) (ओ) के साथ पठित इसी की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र के दिनांक 1 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 103/2004 फा.सं.5-1(276)/2002 डेव-1 के अनुसार प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण विनियम 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जा सकेगा ।

(ख) यह अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. संशोधन :—

(1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्यहरण नियमावली, 2004 में (जिसे इसके बाद से उक्त नियमावली कहा जाएगा) के अध्याय I की परिभाषा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(क) "न्याय निर्णय अधिकारी" से अभिप्रेत है निदेशक, मत्स्य उद्योग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है वह अधिकारी जो सहायक निदेशक, मत्स्य उद्योग विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और उप कमाण्डेन्ट, भारतीय तटरक्षक के रैंक से नीचे के न हो ।

(ग) "मेरीन इंजीनियर" से अभिप्रेत है वह इंजीनियर जो जहाजरानी सेवा विभाग अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में सहायक मेरीन इंजीनियर के नीचे के रैंक के न हो । वह इंजीनियर जो भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, भारत सरकार में सर्विस इंजीनियर (मेकेनिकल) से नीचे के रैंक के न हो ।

(घ) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश के चारों ओर का जल क्षेत्र जो 12 समुद्री मील से अधिक न हो ।

2. उक्त नियमावली के नियत 5 (क) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

मत्स्यहरण के विनिर्दिष्ट क्षेत्र	चलाने के लिए मत्स्यहरण जहाज की श्रेणी	प्रयोग किए गए गियर/मीश आकार
(i) मत्स्यहरण क्षेत्र - क समुचित आधार रेखा से 06 नाटिकल मील तक का अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के चारों ओर का प्रादेशिक जल	सभी मत्स्यहरण जहाज जिनमें इन बोर्ड इंजन अथवा आऊट बोर्ड इंजन लगे हुए हों तथा 30 अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) से कम के इंजन हो	(i) गिल नेट जिसमें जाल के छेद 25 मि.मी. मेश से कम न हो (आड़े में गांठ से गांठ तक) (ii) हूक एवं डोरी (iii) शोर सीन/ड्रेग नेट जिसमें जाल के छेद 25 मि.मी. मेश से कम न हो (iv) फिश ट्रैप
(ii) मत्स्यहरण क्षेत्र - ख समुचित आधार रेखा से 06 समुद्री मील से आगे 12 समुद्री मील तक के अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के चारों ओर का प्रादेशिक जल	सभी मत्स्यहरण जहाज जिनमें इन बोर्ड इंजन अथवा आऊट बोर्ड इंजन लगे हुए हों तथा 30 अश्वशक्ति (हॉर्स पावर) से कम के इंजन हो	(i) गिल नेट ऐसे इन वन 25 मि.मी. मेश से कम के न हो (ii) जाल के मानक साइज का ट्रालर नेट जिनमें उपयुक्त टरदल एक्सक्लूजर डिवाइस लगे हों (iii) लॉग लाइन, पर्ष, सीन एक्वाइट जिग्गर (iv) हूक एवं डोरी

3. (क) उक्त नियमावली के अध्याय II के नियम-3 (क) के बाद (क)(i), अध्याय (iii) के नियम 4 ख के बाद 4 ख (1) और अध्याय-V के नियम 6 (डब्ल्यू) के बाद नियम 6 (एक्स) के रूप में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा:-

“मत्स्यहरण जहाज को लाईसेन्स देने से पहले प्राधिकृत अधिकारी इसे मेरीन इंजीनियर के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने को कह सकेगा ताकि यह पता लगा सके कि जहाज अच्छी स्थिति में है और समुद्री यात्रा योग्य है। यदि मेरीन इंजीनियर इन मुद्दों पर संतुष्ट हो जाता है तो वह तदनुसार निर्धारित शुल्क की अदायगी हो जाने पर समुद्री यात्रा योग्य होने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यदि जहाज यंत्रिकी साधन से चलता हो तो प्राधिकृत अधिकारी की लाईसेन्स जारी करने से पहले ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।”

“भारतीय तटरक्षक के प्राधिकृत अधिकारी के पास मत्स्यहरण जहाज के पंजीकरण और लाईसेन्स को छोड़कर विनियम और नियमों के अन्तर्गत दी गयी सभी शक्तियाँ प्राधिकृत अधिकारी के पास होंगी।

(ख) मेरीन इंजीनियर द्वारा मत्स्यहरण जहाज की अच्छी स्थिति और समुद्री यात्रा योग्य होने का प्रमाण-पत्र मंजूर करने का शुल्क रु. 30/- अथवा समुद्री यात्रा योग्य प्रमाण-पत्र जारी करने वाले एग्जेसी द्वारा निर्धारित अनुसार शुल्क, जो भी अधिक हो, अदा करना होगा।

उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
ह./-

(सुश्री सलीना)

सहायक सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 12th October, 2007

No.222/2007/F.No. 5-1(276)/02-Dev-I.—In exercise of the powers conferred under section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with Sub-Section (a),(e), (o) of Section 2 and Section 3 thereof, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following Amendment in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rule, 2004 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F. No. 5-1(276)/2002-Dev-I dated 1st June, 2004, and notifies as follows: